विदेश मंत्रालय
प्रोतोकॉल १ प्रभाग
नई दिल्ली
दूरभाष: ४९०१८६०२, ४९०१६६१५
फैक्स: ४९०१६६४५

जयदीप मजुमदार
प्रोतोकोल प्रमुख एवं अपीलीय अधिकारी
ईमेल : jscop@mea.gov.in

सं. डीआई–१/५५१/१/२०१५ १५ सितम्बर, २०१५

विषय: सूचना के अधिकार २००५ के तहत दायर प्रथम अपील

महोदय,

कृपया अपीलीय अधिकारी, विदेश मंत्रालय को संबोधित आरटीआई अधिनियम, २००५ के तहत दायर किए गए दिनांक ०८.०९.२०१५ के अपने प्रथम अपील का संदर्भ लें जिसमें आपने प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं तथा उन यात्राओं पर हुए व्यय का विवरण न देने पर आपत्ति जताई है और वांछित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ।

२. मैंने आपके द्वारा दायर किये गए आवेदन, अपील तथा श्री रोहित रथिश, उप प्रोतोकोल प्रमुख (सी)/सीपीआईओ द्वारा दिए गए दिनांक १३ अगस्त, २०१५ के उत्तर का सावधानी से अध्यन किया है तथा निम्न अवलोकन / निर्णय पर पहुंचा हूँ ।

३. आपके द्वारा मांगी गयी सूचना (विदेश यात्राओं के बारे में) विदेश मंत्रालय की वेबसाइट www.mea.gov.in पर उपलब्ध है। आप वेबसाइट से वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते है । आपके द्वारा व्यय के बारे मांगी गयी सुचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण आपके आवेदन का स्थान्तरण श्री प्रेम प्रकाश खुल्लर, वरिष्ट लेखा अधिकारी एवं सि पी आई ओ को समुचित निपटान के लिए किया जा चूका है (सूचना के अधिनियम २००५ के अनुछेद ६(३) में हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है) ।

४. तदनुसार अपील का निपटान किया जाता है।

जयदीप मजुमदार

जयदीप मजुमदार
प्रोतोकोल प्रमुख एवं अपीलीय अधिकारी

प्रति प्रेषित:

१. **श्री रणविजय सिंह, ४ पी एम् न्यूज़, ५/६००, विकास खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश २२६०१०**
२. **श्रीमती मीरा सिसोदिया, अवर सचिव (आरटीआई), आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय।**
३. **श्री पी पी खुल्लर, वरिष्ट लेखा अधिकारी एवं सि पी आई ओ, विदेश मंत्रालय। - कृपया आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी दी जाय ।**